Form No. III
फर्द–अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़	मुकाम	चित्तौड़गढ

देवीलाल कुमावत	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

कार्यवाही अन्तर्गत :–   धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा	अपील (सूचना का अधिकार)	नं0	**004**	सन्	**2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.2024	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। देवीलाल पिता जसराज कुमावत निवासी मानपुरा पोस्ट सेमलपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ (मोबाईल नंबर 9413900321) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2023 जरिये रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ** द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) प्रस्तुत आवेदन का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के दो प्रतियों में प्रथम अपील आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क यथा भारतीय डाक आदेश की छाया प्रति एवं **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ** को आवेदन-पत्र मय पोस्टल रसीद के प्रस्तुत किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा केवल पोस्टल रसीद **RR379573757IN** दिनांक 20.10.2023 की छाया प्रति के प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि प्रथम अपील ग्रहण किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजात है, ऐसी स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्रहण किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि अपीलार्थी अधीनस्थ **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र मय आवेदन शुल्क यथा भारतीय डाक आदेश की छाया प्रति के जो कि जरिये रजिस्टर्ड पत्र पोस्टल रसीद संख्या **RR379573757IN** दिनांक 20.10.2023 की छाया-प्रति के साथ नवीन प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करावें। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से निस्तारित किया जाता है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में उक्तानुसार अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (आलोक रंजन) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 19.01.2024	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official